राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक : डीसी/ए–2/2018/ 620 दिनांकः 27/12/2018

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
समस्त कर्मचारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर
जिला औषधि नियंत्रण संगठन (जरिये सहायक औषधि नियंत्रक)
समस्त औषधि विक्रेता, राजस्थान जरिये
राजस्थान केमिस्ट एशोसियेशन एवं जिला केमिस्ट एशोसियेशन।

विषयः– खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने बाबत्।

संदर्भः– संगठन का पत्र क्रमांक डीसी/ए–2/2018/598 दिनांक 18.12.2018 एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा दिनांक 26.12.2018 को उनके कक्ष में की गई समीक्षा के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन किये जाने बावत् संगठन द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्देशित किया गया था लेकिन इस संबंध में लगभग 06 माह उपरान्त भी उक्त कार्य के पूर्ण ना हो पाने को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिनांक 17.12.2018 को ली गई विडियों कॉन्फ्रेस में गम्भीरता से लिया गया एवं मौके पर ही सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आपस में सामजस्य स्थापित कर एवं कार्य योजना बनाते हुये दिनांक 15.01.2019 तक इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये थें।

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शासन सचिवालय जयपुर के कक्ष में दिनांक 26.12.2018 को उनके द्वारा पुनः समीक्षा की गई एवं कोई विशेष प्रगति ना हो पाने के कारण निर्देशित किया गया कि सभी संबंधितों द्वारा दिनांक 15.01.2019 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। **श्रीमान के द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि यदि कोई औषधि विक्रेता दिनांक 15.01.2019 से पूर्व खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन नहीं कराता है तो उनके औषधि अनुज्ञापत्र के निरस्त/निलम्बन के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा इस कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता यदि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के स्तर से पाई जावे तो उनके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किये जावें। श्रीमान के द्वारा दिनांक 16.01.2019 को पुनः समीक्षा की जावेगी।**

संगठन के पत्र क्रमांक डीसी/ए–2/2018/598 दिनांक 18.12.2018 के द्वारा शेष कार्य को दिनांक 15.01.2019 तक पूर्ण करने की कार्य योजना सभी सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान से अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा केमिस्ट एसोशियेशन से सामजस्य स्थापित कर दिनांक 22.012.2018 तक संगठन की ई–मेल पर (drugcontroller2.mh@rajasthan.gov.in) सॉफ्ट कॉपी में चाही गई थी एवं प्रति सप्ताह अपने स्तर से समीक्षा करते हुये कार्य को पूर्ण करने में आवश्यकतानुसार उचित निर्णय लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे, परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक अधिकतर अधिकारियों द्वारा निर्देशों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

अतः दिनांक 15.01.2019 को संगठन स्तर पर समीक्षा कर कार्य पूर्ण ना करने वाले जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के द्वारा दिनांक 16.01.2019 को ली जाने वाली समीक्षा बैठक में उपस्थित होने के लिये बुलाया जावेगा।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए–2/2018/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके द्वारा दिनांक 26.12.2018 को दिये गये निर्देशों की अनुपालना में।
2. औषधि नियंत्रक– प्रथम, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके संभाग जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं जोधपुर से संबंधित उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही करवाया जाना एवं प्रगति की आपके स्तर से समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के द्वारा दिनांक 16.01.2019 को ली जाने वाली समीक्षा बैठक में भी उपस्थित होवें।
3. प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुये संबंधितों को ई–मेल करावें।
4. अध्यक्ष एवं सचिव राजस्थान केमिस्ट एशोसियेशन, जयपुर / समस्त जिला केमिस्ट एसोशियेशन, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने के संबंध में जिले के अधिकारियों को यथा सहयोग प्रदान करें एवं अपने स्तर से सभी केमिस्टो को औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने के लिये SSO ID Create करते हुये संबंधित दस्तावेज/जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देशित करे, जिसके लिये ई–मित्र कियोस्क की सहायता भी ली जा सकती है।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर